सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —78 / 2017 अपील (RCMS/2017/00002)
पंजीयन दिनांक —19.06.2017
निर्णय दिनांक —27.11.2018

1. श्री भंवर लाल पिता श्री नाथूलाल भोरावत, निवासी हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर—4, उदयपुर जरिये मुख्तियारआम श्री रमेश कुमार पिता वरदीचन्द जैन, निवासी 829, पुजा नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर—4, उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री वर्द्धमान पिता श्री प्रतापसिंह मेहता, निवासी धानमण्डी, उदयपुर।
2. नगर विकास प्रन्यास जरिये प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री राजमल राव — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1
3. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2

अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या नियमन / नविप्र / 2001 / 175 दिनांक 13.03.2003

निर्णय

दिनांक 27.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या नियमन / नविप्र / 2001 / 175 दिनांक 13.03.2003 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सवीना में स्थित भूमि खसरा संख्या 113, 114, 115, 116, 4119/114, 150, 149 एवं 151 कुल किता 8 रकबा 1.37 हेक्टयर भूमि स्थित है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 13.03.2003 से भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क के तहत उक्त आराजीयात की भूमि पर में समस्त व्यक्तियों के अधिकार एवं हित पर्यवसित किये जाकर भूमि राज्य हित में पुनग्रहित की। उपरोक्त भूमि में आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 13.03.2003 से व्यक्ति होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थिति जिनकी बहस दिनांक 27.11.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि आराजी संख्या 114, 115, 116, 4119/114, 149, 150 एवं 151 के खातेदारों ने नगर विकास प्रन्यास के समक्ष अपना सर्मपण पत्र पेश किया तथा आपसी बंटवारानामा भी पेश किया। उस सर्मपण पत्र में आराजी नम्बर 113 का कही हवाला नहीं था एवं आराजी नम्बर 113 के खातेदारों द्वारा कभी भी समर्पण पत्र पेश नहीं किया गया एवं कथित समर्पण पत्र आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। यहा तक कि आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में आपसी बटवारानामा नहीं था। उक्त बटवारानामा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या–1 की कही भी हस्ताक्षर नहीं है। जो प्लॉन आराजी नम्बर 114, 115, 116 आदि के खातेदारों द्वारा पेश किया गया उसमें अपीलान्ट की जमीन को रोड़ में बता दी गइ तथा उसके अनुसार आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में भी धारा 90–क की कार्यवाही की जो एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के हे। अपीलान्ट की आराजी नम्बर 113 को नक्शें में रोड़ बताकर जो नक्शा एप्रुवड किया वह भी बिना अधिकार के होकर वोइड है। उपरोक्त आराजी की 90–क की कार्यवाही के दौरान आराजी नम्बर 113 का भी जोड दिया जबकि की आराजी नम्बर 113 के खातेदारों द्वारा कभी भी अपने अधिकार सरेण्डर नहीं किए व न ही बटवारानामा लिखा गया। ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में 90–क कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कानूनन जिस खातेदार की जमीन के सम्बन्ध में धारा 90–क की कार्यवाही की जाती है, उस खातेदार को 90बी(6) के तहत उसी भूमि में से पट्टे जारी किये जावेगें, परन्तु अपीलान्ट को कोई पट्टा जारी नहीं किया गया व अपीलान्ट की जमीन बिना

अवाप्ति के की धारा 90–क कार्यवाही कर ले ली गई जो एबनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में जो धारा 90–क का आदेश दिनांक 13.03.2003 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम सवीना की आराजी संख्या 113 को पुनः अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज कराने जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् संख्या–1 द्वारा अपनी बहस में धारा–90–क की कार्यवाही को नियमानुसार नहीं होना बताया है तथा उसकी खातेदारी भूमि को न ही सरेंडर किया जाना एवं न ही बटवारानामा किया जाना बताया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया जिसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर पारित आदेश दिनांक 13.03.2003 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन किया कि आराजी संख्या 114, 115, 116, 4119/114, 149, 150 एवं 151 के खातेदारों ने नगर विकास प्रन्यास के समक्ष अपना सर्मपण पत्र पेश किया तथा आपसी बंटवारानामा भी पेश किया। उपरोक्त आराजी की 90–क की कार्यवाही के दौरान आराजी नम्बर 113 का भी जोड दिया जबकि की आराजी नम्बर 113 के खातेदारों द्वारा कभी भी अपने अधिकार सरेण्डर नहीं किए व न ही बटवारानामा लिखा गया। ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 113 के सम्बन्ध में 90–क कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में धारा–90–क की कार्यवाही को नियमानुसार नहीं होना बताया है तथा उसकी खातेदारी भूमि को न ही सरेंडर किया जाना एवं न ही बटवारानामा किया जाना बताया है। प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 13.03.2003 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा आराजी संख्या 113 हेतु समर्पण पत्र नहीं दिये जाने उपरान्त

भी धारा–90–क की कार्यवाही दोरान उनके खातेदारी अधिकार की आ.न. 113 को सम्मिलित किया गया है, जो न्याय संगत एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 13.03.2003 निरस्त किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में मद्देनजर नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें एवं नियमानुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय दिनांक 27.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर